<u>राज्य आकस्मिकता निधि से आहरण</u>

<u>संख्या-36/2015/871/47-का-3-2015-13/4/2014</u>

प्रेषक,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 21 मई, 2015**

विषय - <u>कनिष्ठ सहायक (सामान्य चयन) परीक्षा, 2015 के आयोजन हेतु धनराशि की स्वीकृति</u>।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-244/परीक्षा अनुभाग/ आयोग/ 2015/54/2015-खण्ड-4, दिनांक 08.05.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सम्पादित करायी जा रही कनिष्ठ सहायक (सामान्य चयन) परीक्षा, 2015 हेतु आय-व्ययक के माध्यम से उपलब्ध करायी गई धनराशि पर्याप्त न होने तथा उक्त व्यय अत्यन्त आवश्यक एवं अपरिहार्य होने के दृष्टिगत 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में रू0-2,91,76,000.00 तथा 23-गुप्त सेवा व्यय मद में रू0-80,00,000.00, कुल समेकित धनराशि रू0-3,71,76,000.00(रूपये तीन करोड़ इकहत्तर लाख छिहत्तर हजार मात्र) राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित कर, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के निस्तारण पर इस शर्त के साथ रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का नियमानुसार उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

2. राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित की गयी उक्त धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों/ शासनादशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त किया जायेगा तथा उक्त अग्रिम धनराशि का नियमानुसार समायोजन यथासमय कर लिया जायेगा। आयोग के पत्र में अंकित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए उक्त धनरशि का व्यय नही किया जायेगा।

3. उत्तर प्रदेश कन्टीजेन्सी फण्ड एक्ट, 1950 एवं उत्तर प्रदेश कन्टीजेन्सी फण्ड रूल्स के निहित प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-2016 में प्रथमत: 8000-राज्य की आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि से विनियोजन तथा अन्ततः आय-व्ययक की अनुदान संख्या-20 के लेखाशीर्षक- "2051-लोक सेवा आयोग-103-कर्मचारी चयन आयोग-आयोजनेत्तर-03-उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग" के अन्तर्गत 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान एवं 23-गुप्त सेवा व्यय क नामे डाला जायेगा।

5. यहा आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-743/दस-2015, दिनांक 20 मई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वित्त विभाग का पृष्ठांकन

संख्या-ई-5-743/सी.एफ.संख्या-005/दस-2015, दिनांक 20 मई, 2015

प्रतिलिपि महालेखाकार (रिपार्ट ब्रांच) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्ययक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(देशराज सिंह)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या-36/2015/871(1)/47-का-3-2015-13/4/2014, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (प्रथम/ द्वितीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लांनिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थर्नहिल रोड, इलाहाबाद।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5.
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2.

आज्ञा से

(बाबू राम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।